कार्यालय नगर परिषद टिमरनी, जिला – हरदा (म0 प्र0)

क्र0/राजस्व/वसूली ठेका/20/1979

टिमरनी, दिनांक 14/10/2020

–:: प्रस्ताव (ऑफर) आमंत्रण सूचना ::–

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद टिमरनी द्वारा निम्नानुसार शुल्क वसूली वर्ष 2020–21 (01/11/20 से 31/3/21) की वसूली हेतु ठेके पर दिया जाना है। इस हेतु नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव (ऑफर) अनुसार दरें बंद लिफाफे द्वारा दिनांक 22/10/2020 को सायं 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त प्रस्ताव (ऑफर) दिनांक 22/10/2020 को सायं 5.00 बजे खोले जावेगें प्रस्तावकर्त्ता यदि चाहे तो उपस्थित रह सकते है। प्रस्ताव से संबंधित नियम, शर्ते आदि की जानकारी नगर परिषद की राजस्व शाखा में पृथक–पृथक देखी जा सकती हैं तथा प्राप्त करने हेतु राशि 10/– पृथक–पृथक जमा कर प्राप्त कर सकते है। प्रस्ताव (ऑफर) व धरोहर राशि (अमानत राशि) का विवरण निम्नानुसार हैं।

विवरणी

क्र0	ठेके का नाम	धरोहर राशि (अमानत राशि)	प्रस्ताव मूल्य (ऑफर)
1	बाजार एवं अस्थाई दखल फीस	40,000/– चालीस हजार	207066/– (दो लाख सात हजार छांछठ रूपया)
2	पार्किंग फीस	15,000/– पन्द्रह हजार	52083/– (बावन हजार तिरयासी रूपया)
3	विज्ञापन एवं होर्डिंग फीस	15,000/– पन्द्रह हजार	90000/– (नब्बे हजार रूपया)

नोट :–

01 प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित फार्म कार्यालय में राशि रू. 500/– जमा कर दिनांक 20.10.2020 को 5.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

02 केवल पंजीकृत डाक से भेजे गये प्रस्ताव ही स्वीकार किये जावेगें। निर्धारित तिथी एवं समय के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा, एवं लिफाफा बिना खोले ही वापस कर दिया जायेगा।

03. धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार किये जावेगी एफ.डी.आर.का विवरण जैसे – मूल्य क्रमांक व दिनांक का खुलासा लिफाफे के ऊपर करना अनिवार्य होगा। एफ.डी.आर. मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं प्रस्तावक के नाम से देय होगा।

04. प्रस्ताव (ऑफर) का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट www.nptimarni.co.in पर भी देख सकते हैं।

(महेश कुमार बमनहा)
प्रशासक
नगर परिषद टिमरनी

(राहुल शर्मा)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद टिमरनी

पृ0 क्र0/राजस्व/वसूली ठेका/20/1980

टिमरनी, दिनांक 14/10/2020

प्रतिलिपि :–

4. प्रशासक नगर परिषद टिमरनी की ओर सूचनार्थ।
5. नगर परिषद/तहसील कार्यालय/कृषि उ0 मंडी/जनपद कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
6. श्री.. दैनिक समाचार पत्र .... की ओर आगामी अंक में व्यय सीमा .... में प्रकाशनार्थ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद टिमरनी

कार्यालय नगर परिषद टिमरनी, जिला–हरदा म.प्र.

विज्ञापन होर्डिंग ठेका वर्ष 2020–21 की शर्ते

1. नगर परिषद टिमरनी के स्वामित्व का होर्डिंग एवं विज्ञापन ठेके के माध्यम से वर्ष 2020–2021 (दिनांक 01 नबम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक) होगी।
2. होर्डिंग एवं विज्ञापन हेतु आफर (प्रस्ताव) देने के पूर्व निर्धारित अमानत राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।
3. प्रस्ताव सिर्फ पंजीकृत डाक के माध्यम से हि स्वीकार किये जावेगें, और प्रस्ताव बिना लिफाफा ही वापस कर दिया जावेगा।
4. विज्ञापन एवं होर्डिंग ठेका हेतु अमानत राशि 15000.00(पन्द्रह हजार रूपये) एवं (प्रस्ताव) आफर मूल्य राशि 90000.00(नब्भे हजार रूपया) निर्धारित है। निर्धारित (प्रस्ताव) आफर से कम के प्रस्ताव विचार योग्य नहीं होंगे। (आफर पत्र पर किसी भी प्रकार कि कॉट–छॉट एवं ओव्हर राईटिंग मान्य नहीं कि जावेगी)।
5. आफर कर्ता नगर परिषद टिमरनी का वकायदार नही होना चाहिए। तदाशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अमानत राशि के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा।
6. (प्रस्ताव) आफर मे उच्चतम प्रस्तावकर्ता को प्रस्तावित मूल्य की 25 प्रतिशत राशि 24 घंटे के भीतर नगर परिषद कार्यालय टिमरनी मे जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि प्रस्तावकर्ता उक्त राशि निर्धारित समय मे जमा करने मे असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई अमानत राशि राजसात (जप्त) कर ली जावेगी।
7. प्रस्ताव मूल्य की शेष राशि 03(तीन) समान किश्तो में जमा करना अनिवार्य होगा। एवं अमानत की जमा राशि का समायोजन अंतिम किश्त में किया जावेगा।

क्रमांक	किश्त	माह एवं वर्ष
1	प्रथम किश्त	15 दिसंबर 2020
2	द्वितीय किश्त	15 जनवरी 2021
3	तृतीय किश्त	15 फरवरी 2021

8 किश्त प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा 50 रूपया प्रतिदिन बिलम्ब शुल्क सहित जमा कराना होगा। माह की अंतिम तिथी तक किश्त मय बिलम्ब शुल्क सहित 15 दिवस तक जमा न कराने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त कर जमा अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

9. ठेका निरस्त होने की दशा में ठेकेदार की जोखिम पर पुनः नीलाम किया जावेगा जिसमें होने वाले समस्त हर्जे खर्चे की जबाबदारी पूर्व ठेकेदार की रहेगी जो नगर पालिका अधिनियम में वर्णित रीति से वसूली योग्य रहेगी। पुनः नीलामी में अधिक राशि प्राप्त होने पर अन्तर की राशि पर पूर्व ठेकेदार का कोई हक नही होगा।

10 ठेका स्वीकृति उपरान्त सफल प्रस्तावकर्ता को नगर पालिका के पक्ष मे शासन नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा अनुबंध के बगैर स्वीकृत प्रस्तावकर्ता को ठेका वसूली का अधिकार नही होगा एवं स्वीकृत प्रस्ताव निरस्त कर दिया जावेगा।

11 स्वीकृत प्रस्तावकर्ता को ठेका अधिपत्य में लेने के पूर्व दो जमानतदार प्रस्तुत करना होगा जिनकी संपत्ति नगर परिषद टिमरनी की सीमा क्षेत्र में होना अनिवार्य होगा एवं जमानतदारों की संपत्ति स्वामित्व संबंधी प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12 शर्त कमांक 07 अनुसार प्रस्तावकर्ता को किश्त अदायगी की राशि के पोस्टेड चैक जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक टिमरनी शाखा टिमरनी से संबंधित होगें अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक माह की किश्त निश्चित तिथी पर जमा न करने पर या चैक की राशि नगर परिषद कोष में जमा न होने पर एवं चेक अनादर होने पर संबधित के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही की जाकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। इसमे

होने वाली क्षति ठेकेदार एवं जमानतदार से नगर पालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधान अनुसार की जावेगी।

13 ठेकेदार को विज्ञापन होर्डिंग शुल्क वसूली हेतु रसीद बुक नगर परिषद टिमरनी द्वारा दी जावेगी जिसकी कीमत नगर परिषद में जमा करना होगी। कीमत में 10 प्रतिशत स्टोर चार्ज अतिरिक्त देय होगा।

14 रसीद बुक पूर्ण होने पर उसकी काउन्टर फाईलें तथा कलेक्शन रजिस्टर भर जाने पर ठेकेदार को पुनः न.पा. कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

15 ठेकेदार को ठेके के साझेदारों एवं वसूलीकर्ताओं की सूची थाना एवं नगर परिषद टिमरनी में प्रस्तुत करना होगा।

16 आफर में सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर नगरपरिषद द्वारा निम्नानुसार निर्धारित दर से विज्ञापन होर्डिंग की वसूली करनी होगी। वर्णित दरें प्रतिमाह के लिये मान्य होगी।

क्र.	क्षेत्रफल प्रति वर्गफीट में	बस स्टेण्ड चौराहा	बस्ती मार्ग, तहसील मार्ग, जनपद मार्ग, हरदा रोड़ मार्ग	अन्य शहरी क्षेत्र में दरें
1	0 से 50	30.00	20.00	16.00
2	51 से 100	20.00	16.00	12.00
3	101 से 200	16.00	12.00	10.00
4	201 से अधिक	12.00	10.00	8.00

उपरोक्त निर्धारित दर से अधिक दर से विज्ञापन होर्डिंग शुल्क संग्रहण किया जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

17 नगर परिषद सीमा क्षेत्र में नगर परिषद तथा शासन के शासकीय विभागों के द्वारा लगाये गये या लगाये जाने वाले विज्ञापन बोर्ड से ठेकेदार को किसी भी प्रकार की कोई वसूली करने का अधिकार नही होगा।

18 यह कि नगर प्रमुख चौराहों प्रमुख मार्गो एवं गलियों में किसी प्रकार का कोई यातायात प्रभावित न हो इसका पूर्ण ध्यान रखकर ही ठेकेदार को नगर परिषद की पूर्व अनुमति प्राप्त कर विज्ञापन बोर्ड लगवाये जाने का अधिकार होगा। यदि ठेकेदार द्वारा विना अनुमति प्राप्त किये विज्ञापन बोर्ड लगवाये जाने से किसी भी प्रकार का यातायात प्रभावित अथवा अवरूद्ध होता है तो नगर परिषद टिमरनी को अधिकार होगा कि ऐसे विज्ञापन बोर्ड हटाकर भूमि रिक्त करवा ली जावेगी।

19 यह कि वर्ष 2020–21 के लिये शहर की सीमा में विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति प्रदाय करने का अधिकार ठेकेदार को होगा। विना अनुमति लगे एवं लगवाये गये बोर्ड को हटाने का अधिकार ठेकेदार को होगा।

20 नगर परिषद सीमा क्षेत्र पर स्थित प्रमुख प्रवेश द्वार इस नीलामी में सम्मिलित नही है।

21 यह कि नशीले पदार्थ एवं अश्लील विज्ञापन होर्डिंग एवं शासन द्वारा वर्जित किसी भी प्रकार का विज्ञापन होर्डिंग लगवाये जाने का ठेकेदार को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नही होगा। यदि ऐसा करता पाया जाता है तो ठेका तत्काल निरस्त कर जमा अमानत राशि जप्त की जाकर ठेका का अधिपत्य वापस प्राप्त कर लिया जावेगा

22 नगर के चौराहों पर ऐसी विज्ञापन बोर्ड होर्डिंग लगाया जाना प्रतिबंधित रहेगा जिसके बोर्ड लगाये जाने से एक दूसरी रोड़ से आने–जाने वाले वाहन दिखाई न दें एवं यातायात प्रभावित हो तथा दुर्घटना घटित होने की संभावना हो।

23 विज्ञापन होर्डिंग वसूली के निरीक्षण करने का अधिकार न.पा. अध्यक्ष, न.पा.अधिकारी, रा.उ.नि. अथवा न.पा. द्वारा अधिकृत कर्मचारी को रहेगा।

24 यह कि शासन के आदेश अथवा किसी आपदा की स्थिति में क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति दावा आदि लगाने के लिये ठेकेदार को कोई अधिकार नही होगा।

25 यह कि विज्ञापन बोर्ड लगाये जाने संबंधी किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा अध्यक्ष नगर परिषद टिमरनी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

26 वर्तमान में स्थापित होर्डिंग स्टेण्ड निकाय के स्वामित्व के नही है। होर्डिंग स्टेण्ड ठेकेदार को स्वयं लगाना होगा इसके लिये नगर परिषद द्वारा कोई भुगतान नही किया जावेगा।

27 निकाय अथवा अन्य शासकीय संपत्ति पर विज्ञापन होर्डिंग लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

28 ठेकेदार को समय समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेशों को मानकर उन आदेशों का अक्षरशः पालन करना होगा।

29 ठेका वसूली कार्य के दौरान ठेकेदार स्वयं एवं उसके साझेदारों एवं वसूलीकर्ताओं एवं अन्य के बीच किसी प्रकार का विवाद झगडा होता है तो इसकी जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

30 प्रस्ताव आफर का उच्चतम मूल्य स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी/पीआईसी. /परिषद को होगा। इसके लिए कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

31 न्यायालयीन कार्यवाही के लिए हरदा न्यायालय ही मान्य होगा।

32 उपरोक्त शर्तो में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार निकाय अपने पास सुरक्षित रखती है जो कि ठेकेदार को मान्य करना होगा।

33. ठेका निरस्त होने पर परिषद विभागीय अमले द्वारा अथवा पुनः ठेके पर दे सकेगी। इस कार्यवाही मे यदी कोई आर्थिक क्षति होती है तो परिषद डिफाल्टर ठेकेदार से आर्थिक क्षति पूर्ति की राशि बकाया राजस्व की भाति वसूल कर सकेगी।

34 निकाय द्वारा की जा रही अलग–अलग निलामी में अलग–अलग अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा कोई भी निलामी कार्य में जमा राशि इस निलामी में समायोजित नहीं होगी।

35 उपरोक्त शर्त क्रमांक 01 से 34 तक की शर्तो का पालन ठेकेदार को करना अनिवार्य होगा, यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जावेगा।

प्रशासक एवं
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) टिमरनी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद टिमरनी

कार्यालय नगर परिषद टिमरनी जिला – हरदा म. प्र.

बाजार बैठक वसूली एवं अस्थाई दखल फीस ठेका वर्ष 2020 –2021 हेतू नियम व शर्ते

1 नगर परिषद टिमरनी के स्वामित्व का बाजार बैठक वसूली एवं अस्थाई दखल फीस वसूली ठेके के माध्यम से वर्ष 2020–2021 (दिनॉक 01 नम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक) होगी।

2 बाजार बैठक वसूली एवं अस्थाई दखल फीस वसूली हेतु आफर (प्रस्ताव) देने के पूर्व निर्धारित अमानत राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।

3 प्रस्ताव सिर्फ पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेगे। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त (प्रस्ताव) आफर किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जावेंगे, और प्रस्ताव बिना लिफाफे खोले ही वापस कर दिया जावेगा।

4 बाजार बैठक वसूली एवं अस्थाई दखल फीस की वसूली हेतु अमानत राशि 40,000/रू0 (शब्दो में) चालीस हजार रूपया एवं प्रस्ताव आफर मूल्य 2,07,066/रू0 (दो लाख सात हजार छांछठ) निर्धारित है। निर्धारित प्रस्ताव आफर से कम के प्रस्ताव विचार योग्य नहीं होंगे। (आफर पत्र पर किसी भी प्रकार कॉट–छांट एवं ओव्हर राईटिंग मान्य नहीं की जावेगी।)

5 आफरकर्ता नगर परिषद टिमरनी का बकायादार नहीं होना चाहिये, तदाशय का अनापत्ति प्रमाण–पत्र, अमानत राशि के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

6 (प्रस्ताव) आफर में उच्चतम प्रस्तावकर्ता को प्रस्तावित मूल्य की 25 प्रतिशत् राशि 24 घंटे के भीतर नगर परिषद कार्यालय टिमरनी में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि प्रस्तावकर्ता उक्त राशि निर्धारित समय में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई अमानत राशि राजसात (जप्त) कर ली जावेगी।

7 प्रस्ताव मूल्य की शेष राशि 03 समान किश्तों में जमा करना अनिवार्य होगा, एवं अमानत की जमा राशि का समायोजन अंतिम किश्त में किया जावेगा।

क्रमांक	किश्त	माह एवं वर्ष
1	2	3
1	प्रथम किश्त	15 दिसम्बर 2020
2	द्वितीय किश्त	15 जनवरी 2021
3	तृतीय किश्त	15 फरवरी 2021

8 किश्त प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा 10 रूपया प्रतिदिन विलम्ब शुल्क सहित जमा कराना होगा, 15 दिवस तक किश्त मय विलम्ब शुल्क सहित जमा न कराने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त कर जमा अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

9 ठेका स्वीकृति उपरान्त सफल प्रस्तावकर्ता को नगर परिषद के पक्ष में शासन नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टॉप पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा। अनुबंध के बगैर स्वीकृत प्रस्तावकर्ता को ठेका वसूली का अधिकार नहीं होगा एवं स्वीकृत प्रस्ताव निरस्त कर दिया जावेगा।

10 स्वीकृत प्रस्तावकर्ता को ठेका आधिपत्य में लेने के पूर्व दो जमानतदार प्रस्तुत करना होगा, जिसकी संपत्ति नगर परिषद टिमरनी की सीमा क्षेत्र में होना अनिवार्य है।

............निरंतर–2

11 शर्त क्रमांक 07 अनुसार प्रस्तावकर्ता को किश्त अदायगी की राशि के पोस्टेड चैक जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक टिमरनी शाखा टिमरनी से संबंधित होंगे, अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक माह की किश्त निश्चित तिथि पर जमा न करने पर या चैक की राशि नगर परिषद कोष में जमा न होने, एवं चैक अनादर होने पर संबंधित के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही की जावेगी, एवं ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। इसमें होने वाली क्षति ठेकेदार एवं जमानतदार से नगर पालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधान अनुसार की जावेगी।

12 ठेकेदार बाजार एवं नगर के सहज दृष्टिगोचर स्थल पर निर्खनामा का बोर्ड स्वयं के व्यय पर लगायेगा।

13 ठेकेदार को बाजार बैठक वसूली एवं अस्थाई दखल वसूली हेतु रसीद बुक नगर परिषद टिमरनी द्वारा दी जावेगी, जिसकी कीमत नगर परिषद में जमा करना होगी। कीमत में 10 प्रतिशत् स्टोर चार्ज अतिरिक्त देय होगा।

14 रसीद बुक पूर्ण होने पर उनकी काउन्टर फाईलें तथा कलेक्शन रजिस्टर भर जाने पर ठेकेदार को पुनः नगर परिषद कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

15 ठेकेदार को ठेके के साझेदारों एवं वसूलकर्ताओं की सूची थाना एवं नगर परिषद टिमरनी में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16 आफर में सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर नगर परिषद द्वारा निम्नानुसार निर्धारित दर से बाजार फीस की वसूली करनी होगी।

क्रमांक	दुकानों का आकार	निर्धारित राशि
1	2	3
1 (अ) (ब)	छोटी फुटकर दुकान (01 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक) हाथ ठेला मिट्‌टी के बर्तन बॉस की टोकनी व चटाई	05/रू0 प्रतिदिन 05/रू0 प्रतिदिन
2	मध्यम आकार की दुकाने (01 से 10 व.मी. क्षेत्रफल तक)	10/रू0 प्रतिदिन
3	बड़ी दुकाने (10 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल)	20/रू0 प्रतिदिन

उपरोक्त निर्धारित दर से अधिक दर से बाजार शुल्क संग्रहण किया जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

17 आफर स्वीकृत होने पर ठेकेदार नगर में सार्वजनिक स्थलों एवं आम सड़कों पर अल्प अवधि में किये निर्माण सामग्री भण्डार करने या अन्य उपयोग हेतु अस्थाई दखलकर्ताओं से निम्न दरों से अस्थाई दखल फी वसूल कर सकेगा।

1 03 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक — 01/रूपया प्रतिदिन
2 03 से 10 व.मी.क्षेत्रफल तक —02/रूपया प्रतिदिन
3 10 से 20 व.मी.क्षेत्रफल तक —05/रूपया प्रतिदिन
4 20 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर —25 पैसे प्रति वर्गमीटर प्रतिदिन

18 बाजार शुल्क वसूली एवं अस्थाई दखल फीस वसूली के निरीक्षण करने का अधिकार नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका अधिकार, राजस्व उपनिरीक्षक अथवा न.पा. द्वारा अधिकृत कर्मचारी को रहेगा।

......निरन्तर—3

19 ठेका अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं से, धुरेंडी त्यौहार अन्य किसी कारणों से यदि बाजार बंद रहते है, तो बाजार की नुकसानी के लिये नगर परिषद टिमरनी किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगी एवं न ही कोई राशि कम की जावेगी।

20 ठेकेदार को समय–समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेशों को मानकर उन आदेशों का पालन करना होगा।

21 ठेका वसूली कार्य के दौरान ठेकेदार स्वयं एवं उसके साझेदारों एवं वसूलीकर्ताओं एवं अन्य के बीच किसी भी प्रकार का विवाद झगड़ा होता है तो इसकी जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

22 प्रस्ताव आफर का उच्चतम मूल्य स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी/पी. आई.सी./परिषद को होगा। इसके लिये कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

23 न्यायालयीन कार्यवाही के लिये हरदा न्यायालय ही मान्य होगा।

24 उपरोक्त शर्तों में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार निकाय अपने पास सुरक्षित रखती है, जो कि ठेकेदार को मान्य करना होगा।

25 बाजार फीस देने वाले दुकानदारों से अस्थाई दखल फीस नहीं ली जावेगी, एवं नगर परिषद सीमा क्षेत्र में विस्थापित गुमटियों से ठेकेदार को बाजार फीस वसूली का अधिकार नहीं रहेगा।

26 उपरोक्त शर्त क्रमांक 01 से 26 तक की शर्तों का पालन ठेकेदार को करना अनिवार्य होगा, यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जावेगा।

प्रशासक
नगर परिषद टिमरनी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद टिमरनी

कार्यालय नगर परिषद टिमरनी जिला – हरदा म. प्र.

पार्किंग फीस संग्रहण ठेका वर्ष 2020–2021 की नीलामी हेतु नियम व शर्तें

1. नगर परिषद टिमरनी के स्वामित्व का पार्किंग फीस वसूली ठेके के माध्यम से वर्ष 2020–2021 (दिनॉक 01 नम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक) होगी।
2. पार्किंग फीस वसूली हेतु आफर (प्रस्ताव) देने के पूर्व निर्धारित अमानत राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।
3. प्रस्ताव सिर्फ पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेगे। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त (प्रस्ताव) आफर किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जावेंगे, और प्रस्ताव बिना लिफाफे खोले ही वापस कर दिया जावेगा।
4. बाजार बैठक वसूली एवं अस्थाई दखल फीस की वसूली हेतु अमानत राशि 15,000/रू0 (शब्दो में) पन्द्रह हजार रूपया एवं प्रस्ताव आफर मूल्य 52,083/रू0 (बावन हजार तिरासी रूपया) निर्धारित है। निर्धारित प्रस्ताव आफर से कम के प्रस्ताव विचार योग्य नहीं होंगे। (आफर पत्र पर किसी भी प्रकार कॉट–छांट एवं ओव्हर राईटिंग मान्य नहीं की जावेगी।)
5. आफरकर्ता नगर परिषद टिमरनी का बकायादार नहीं होना चाहिये, तदाश्य का अनापत्ति प्रमाण–पत्र. अमानत राशि के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
6. (प्रस्ताव) आफर में उच्चतम प्रस्तावकर्ता को प्रस्तावित मूल्य की 25 प्रतिशत् राशि 24 घंटे के भीतर नगर परिषद कार्यालय टिमरनी में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि प्रस्तावकर्ता उक्त राशि निर्धारित समय में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई अमानत राशि राजसात (जप्त) कर ली जावेगी।
7. प्रस्ताव मूल्य की शेष राशि 03 समान किश्तों में जमा करना अनिवार्य होगा, एवं अमानत की जमा राशि का समायोजन अंतिम किश्त में किया जावेगा।

क्रमांक	किश्त	माह एवं वर्ष
1	2	3
1	प्रथम किश्त	15 दिसम्बर 2020
2	द्वितीय किश्त	15 जनवरी 2021
3	तृतीय किश्त	15 फरवरी 2021

8. किश्त प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा 10 रूपया प्रतिदिन विलम्ब शुल्क सहित जमा कराना होगा, 15 दिवस तक किश्त मय विलम्ब शुल्क सहित जमा न कराने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त कर जमा अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
9. ठेका स्वीकृति उपरान्त सफल प्रस्तावकर्ता को नगर परिषद के पक्ष में शासन नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टॉप पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा। अनुबंध के बगैर स्वीकृत प्रस्तावकर्ता को ठेका वसूली का अधिकार नहीं होगा एवं स्वीकृत प्रस्ताव निरस्त कर दिया जावेगा।

10. ठेका निरस्त होने की दशा में ठेकेदार की जोखिम पर पुनः नीलाम किया जावेगा जिसमें होने वाले समस्त हर्जे–खर्चे की जवाबदारी पूर्व ठेकेदार की रहेगी जो नगर पालिका अधिनियम में वर्णित रीति से वसूली योग्य रहेगी। पुनः नीलामी में अधिक राशि प्राप्त होने पर अन्तर की राशि पर पूर्व ठेकेदार का कोई हक नहीं होगा।

11 ठेका स्वीकृति उपरान्त सफल प्रस्तावकर्ता को नगर परिषद के पक्ष में शासन नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टॉप पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा। अनुबंध के बगैर स्वीकृत प्रस्तावकर्ता को ठेका वसूली का अधिकार नहीं होगी एवं स्वीकृत प्रस्ताव निरस्त कर दिया जावेगा।

12 शर्त क्रमांक 07 अनुसार प्रस्तावकर्ता को किश्त अदायगी की राशि के पोस्टेड चैक जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक टिमरनी शाखा टिमरनी से संबंधित होंगे, अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक माह की किश्त निश्चित तिथि पर जमा न करने पर या चैक की राशि नगर परिषद कोष में जमा न होने, एवं चैक अनादर होने पर संबंधित के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही की जावेगी, एवं ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। इसमें होने वाली क्षति ठेकेदार एवं जमानतदार से नगर पालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधान अनुसार की जावेगी।

13 ठेकेदार को पार्किंग फीस वसूली हेतु रसीद बुक नगर परिषद टिमरनी द्वारा दी जावेगी, जिसकी कीमत नगर परिषद में जमा करना होगी। कीमत में 10 प्रतिशत् स्टोर चार्ज अतिरिक्त देय होगा।

14 रसीद बुक पूर्ण होने पर उनकी काउन्टर फाईलें तथा कलेक्शन रजिस्टर भर जाने पर ठेकेदार को पुनः नगर परिषद कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

15 ठेकेदार को ठेके के साझेदारों एवं वसूलकर्ताओं की सूची थाना एवं नगर परिषद टिमरनी में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16 आफर में सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर नगर परिषद द्वारा निम्नानुसार निर्धारित दर से पॉर्किंग फीस वसूल करनी होगी।

क्रं.	वाहन का प्रकार	पॉर्किंग फीस-की दर
	व्यवसायिक क्षेत्र में गुड्स की लोडिंग–अनलोडिंग के ठहरने वाले प्रत्येक व्यवसायिक वाहनो के संदर्भ में	
1	बड़े व्यवसायिक वाहन ट्रक आदि के लिये	30/रूपये प्रतिदिन
2	छोटे व्यवसायिक वाहन ट्रक, माजदा इत्यादि के लिये ट्रेक्टर ट्राली छोड़कर	20/रूपये प्रतिदिन

उपरोक्त निर्धारित दर से अधिक दर से पार्किंग फीस (शुल्क) संग्रहण किये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

17 ठेकदार द्वारा किसी भी शासकीय/निजि परिसर मे खाली होने वाले माल वाहन से पार्किंग फीस वसूल नही करेगा।

18 पार्किंग फीस वसूली के निरीक्षण करने का अधिकार न.पा.अध्यक्ष न.पा.अधिकारी रा.उ.नि. अथवा न.पा.द्वारा अधिकृत कर्मचारी को रहेगा।

19 ठेकेदार को समय–समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेशों को मानकर उन आदेशों का पालन करना होगा।

20 ठेके वसूली कार्य के दौरान ठेकेदार स्वयं एवं उनके साझेदारों एवं वसूलीकर्ताओं एवं अन्य के बीच किसी भी प्रकार का विवाद,झागडा आदि होता है तो, इसकी जबाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

21 प्रस्ताव ऑफर का उच्चतम मूल्य स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी /पी.आई. सी./परिषद को होगा । इसके लिये कोई कारण बताया जाना आवश्यक नही होगा।

22 न्यायालयीन कार्यवाहीं के लिये हरदा न्यायालय ही मान्य होगा।

23 उपरोक्त शर्तो मे किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार निकाय अपने पास सरक्षित रखती है जो कि ठेकेदार को मान्य करना होगा।

24 ठेकेदार ठेके के अंतगर्त अनुज्ञेय के अलावा किसी प्रकार की अन्य अवैधानिक कृत्य अवैध वसूली नहीं करेंगा और न ही अपने अभिकर्ता के जरिये करावेगा।

25 ठेकेदार बाजार एवं नगर के सहज दृष्टिगोचर स्थल पर निर्खनामा का बोर्ड स्वयं के व्यय पर लगाएगा।

26 किसी भी प्रकार से पार्किग फीस संग्रहण ठेके में होने वाली हानि की भरपाई हेतु परिषद जबाबदार नही रहेगी।

27 ठेके निरस्त होने पर परिषद फीस संग्रहण विभागीय अमले द्वारा अथवा पुनः ठेके पर दे सकेगी। इस कार्यवाहीं में यदि-कोई आर्थिक क्षति होती है तो, परिषद डिफाल्टर ठेकेदार से आर्थिक क्षतिपूर्ति की राशि बकाया राजस्व की भॉति वसूल कर सकेगी।

28 निकाय द्वारा की जा रही अलग–अलग नीलामी में अलग–अलग अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। कोई भी नीलामी कार्य में जमा राशि इस नीलामी में समायोजित नहीं होगी।

29 उपरोक्त शर्त क्रमांक 01 से 29 तक की शर्तो का पालन ठेकेदार को करना अनिवार्य होगा, यदि किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जावेगा।

30 न.पा.के पक्ष मे निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।

प्रशासक
नगर परिषद टिमरनी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद टिमरनी